न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 248/2022
जीसीएमएस सं. – 2022/329

प्रार्थीगण :

1. ज्ञानाराम पुत्र केवलराम
2. बालाराम पुत्र केवलराम
3. ओमप्रकाश पुत्र मलाराम
4. बेबीलता पुत्री मलाराम
5. सुशीला पुत्री मलाराम
6. सुखीदेवी पत्नी मलाराम
7. विशनाराम पुत्र सोनाराम
8. रविन्द्र पुत्र सोनाराम
9. मनीष पुत्र सोनाराम
10. शिवजीराम पुत्र शिवराम फौत के कायम मुकाम
    10/1 रघुवीरसिंह पुत्र शिवजीराम
    10/2 सत्यनारायण पुत्र शिवजीराम
    10/3 राधादेवी पुत्री शिवजीराम
    10/4 सुवादेवी पुत्री शिवजीराम
11. कंवराराम पुत्र जगनाथ
12. पेमाराम पुत्र जगनाथ
13. जवरीलाल पुत्र अलपुराम
14. बीरमराम पुत्र अलपुराम
15. शांति पुत्री अलपुराम
16. परमुड़ी पुत्री अलपुराम
17. प्यारकी पत्नी अलपुराम फौत के कायम मुकाम (प्रार्थी संख्या 15 से 16) जातियाना माली निवासीगण उचियाड़ा बेरा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. मुल्तानराम पुत्र छोगाराम
2. महेन्द्रसिंह उर्फ हापूराम पुत्र छोगाराम
3. डूंगरराम उर्फ डूँगरसिंह पुत्र छोगाराम
4. सुन्दरीदेवी पुत्री छोगाराम जातियान माली निवासीगण उचियाड़ा बेरा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर
5. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपाड़ शहर।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

दर्ज दिनांक 03/08/2022

उपस्थित अधिवक्ता
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 13/11/2025

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण ग्राम पीपाड़ शहर के स्थायी मूल निवासी है एवं कृषि कार्य, पशुपालन, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते आये है। ग्राम सिन्धीपुरा में प्रार्थी संख्या एक व दो की कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

खसरा नम्बर 972 क्षेत्रफल 2.0468 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या तीन से छः की भूमि खसरा नम्बर 1472/971 क्षेत्रफल 0.3761 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या सात से नौ की भूमि खसरा नम्बर 1474/971 क्षेत्रफल 0.3761 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 10/1 से 10/4 की भूमि खसरा नम्बर 1473/971 क्षेत्रफल 0.3761 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 11 व 12 की भूमि खसरा नम्बर 970 क्षेत्रफल 0.9142 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 13 से 17 की भूमि खसरा नम्बर 968/1 क्षेत्रफल 0.7847 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 3 से 10 की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 1475/971 क्षेत्रफल 0.0448 हैक्टेयर आई हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 968/2 क्षेत्रफल 0.3074 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां खसरा नम्बर 968/1, 970, 1472/971, 1473/971, 1474/971 व 972 पर आने जाने हेतु पीढीयों से कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 967 से होकर मूल खसरा नम्बर 968, 970, 971 की दक्षिणी सीमा में 12 फुट चौड़ाई में रास्ता विद्यमान रहा है। जिस रास्ते का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक से चार पीढीयो से आवागमन हेतु उपयोग उपभोग में लेते आये है। वर्तमान में प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु शामलाती रास्ता खसरा नम्बर 968/2, 968/1, 970 की दक्षिणी सीमा में से होता हुआ रास्ता आगे खसरा नम्बर 1475/971 में से होता हुआ आगे रास्ता खसरा नम्बर 972 तक चलता आया है। उक्त वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है वादग्रस्त रास्ता के पडौस भी नजरी नक्शे में अंकित कर रखे है। संलग्न नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावे। प्रार्थी संख्या 3 से 17 के खेत खसरा नम्बर 968/1, 970 व 1475/971 में मौके पर 12 फुट चौड़ाई में रास्ता विद्यमान है जिसका प्राथीगण शामलाती रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है प्रार्थी संख्या 3 से 17 अपने खेत खसरा नम्बर 968/1, 970 व 1475/971 में 12 फुट चौड़ाई में रास्ता प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु शामलाती रास्ता घोषित करवाने हेतु सहमत है। प्रार्थी संख्या 3 से 17 को रास्ता भूमि के बदले में मुआवजा भी नहीं चाहिए। प्रार्थी संख्या 3 से 17 अपने खेतों में शामलाती रास्ता घोषित करवाने हेतु सहमत है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खेत खसरा नम्बर 968/2 की दक्षिणी सीमा में विद्यमान रास्ता को शागलाती रास्ता घोषित फरमाया जावें। प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने हेतु पीढीयों से वादग्रस्त रास्ता ही आवागमन हेतु उपलब्ध है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। इसलिए वादग्रस्त रास्ता को रास्ता घोषित फरमाया जायें। वादग्रस्त रास्ता से प्रार्थीगण ट्रेक्टर ट्रोली, बेल छकड़ा, मवेशियां वगैराह लाते ले जाते रहे है एवं प्रार्थीगण अपने खेतों में काश्त कार्य करते आये है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने वादग्रस्त रास्ता के पश्चिमी कट्टाणी रास्ता के सहारे पट्टियां खड़ी करके वादग्रस्त रास्ता बन्द कर दिया है जिस पर प्राथीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 से निवेदन किया कि वादग्रस्त रास्ता पीढीयों

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

से प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने का एकमात्र रास्ता है आप लोग रास्ते पर से पट्टियां हटा दो, प्रार्थीगण आपको रास्ते की भूमि के बदले रूपये देने को तैयार है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने रास्ता खोलने से मना कर दिया। जबकि अप्राथर्थी संख्या 1 से 4 को ऐसा करने का काई विधिक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त रास्ता को न्यायहित में रास्ता घोषित फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा खड़ी की गई बाधा हटाया जाकर वादग्रस्त रास्ता खुला करवाया जावें। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है क्योकि वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु एकमात्र कदीमी रास्ता विद्यमान है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने वादग्रस्त रास्ता से पट्टियां नहीं हटाई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में आंका नहीं जा सकेगा एंव प्रार्थीगण वादग्रस्त रास्ता के उपयोग से महरूम हो जायेंगें एवं अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त कार्य करने के लिए आ जा नहीं सकेगें। प्रार्थीगण नियमानुसार लाल स्याही के मध्य दर्शाये वादग्रस्त रास्ता जो 968/2, 968/1, 970 की दक्षिणी सीमा में से होता हुआ आगे खसरा नम्बर 1475/971 की भूमि में से होता हुआ खसरा नम्बर 972 तक चलता आया है जिस वादग्रस्त रास्ते को रास्ता घोषित फरमाया जावें। रास्ते की भूमि की कीमत प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को अदा करने हेतु तैयार है। वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत ख0न0 968/2, 968/1, 970, 1472/971 1473/971, 1474/971 व 972 में आने जाने वाला वादग्रस्त रास्ता खसरा नम्बर 968/2, 968/1, 970, 1475/971 उक्त खसरान में संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये वादग्रस्त रास्ते को घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमायें। नक्शे में वादग्रस्त रास्ता तरमीम किया जावे एंव अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा और जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम सिंधीपुरा की सीमा में प्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खंसरा नम्बर 972 प्रार्थी संख्या 3 से 6 की भूमि खंसरा नम्बर 1472/971 प्रार्थी संख्या 7 से 9 की भूमि खंसरा नम्बर 1474/971 प्रार्थी संख्या 10/1 से 10/4 की भूमि खंसरा नम्बर 1473/971 प्रार्थी संख्या 11 व 12 की भूमि खंसरा नम्बर 970, प्रार्थी संख्या 13 से 17 की भूमि खसरा नम्बर 968/1 व प्रार्थी सख्या 3 से 10 की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 1475/791 आयी हुई है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बीपाड शहर (जोधपुर)

प्रार्थीगण आपस में एक ही परिवार है। अप्रार्थी संख्या एक से चार की भूमि खंसरा नम्बर 968/2 रकबा 0.3074 हैक्टयर आयी हुई है। खंसरा नम्बर 968 के उत्तरी तरफ से साथीन सरहद से होकर रास्ता खंसरा नम्बर 968/1 प्रार्थीगण की भूमि तक चलता है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खंसरो में आते जाते प्रार्थीगण एक ही परिवार के है जिन्होने 972/97, 1973/971, 974/971 में दक्षिणी सीमा में रास्ता बना लिया तथा अब नाजायज रूप से अप्रार्थी संख्या एक से चार की भूमि खुर्द बुर्द करने पर आमाद है। खसरा नम्बर 968 के उत्तरी सीमा से साथीन सरहद से रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 968/1970 4 972/97 1973/971. 974/971 तक आते जाते है प्रार्थीगण में गलत रूप से नजरी नक्शा दर्शाया है तथा गलत रास्ता दर्शाया है। खसरा नम्बर 968 के उत्तरी तरफ से साथीन सरहद से होकर रास्ता खंसरा नम्बर 968/1 प्रार्थीगण की भूमि तक चलता है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खसरो में आते जाते प्रार्थीगण एक ही परिवार के है अप्राथीगण के खेत खसरा नम्बर 968/2 में से कतई रास्ता नहीं है। खंसरा नम्बर 968 के उत्तरी तरफ से साथीन सरहद से होकर रास्ता खंसरा नम्बर 968/1 प्रार्थीगण की भूमि तक चलता है जो निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है लेकिन प्रार्थीगण ने मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है। खंसरा नम्बर 968 के उत्तरी तरफ से साथीन सरहद से होकर रास्ता खसरा नम्बर 968/1 प्रार्थीगण की भूमि तक चलता है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खसरो में आते जाते है प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये रास्ता से प्रार्थीगण कभी भी अपने खेतो में नहीं आते जाते प्रार्थीगण के खेतो में आने जाने का रास्ता साथीन सरहद से है। अप्रार्थीगण के खेत के पश्चिम सीमा में पुरानी पट्टीया खड़ी है लेकिन प्रार्थीगण खंसरा नम्बर 968 के उत्तरी तरफ से साथीन सरहद से होकर रास्ता खसरा नम्बर 968/1 प्रार्थीगण की भूमि तक रास्ता होते हुवे भी अप्रार्थीगण की भूमि खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 968 के उत्तरी तरफ से साथीन सरहद से होकर रास्ता खंसरा नम्बर 968/1 प्रार्थीगण की भूमि तक आते जाते है। प्रार्थीगण की भूमि में साथीन सरहद से रास्ता होते हुवे अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 968/2 में से रास्ता गलत रूप से रास्ता दर्शाया है प्रार्थीगण के हक में न तो प्रथम दृष्टया मामला है न सुविधा का सन्तुलन है तथा न प्रार्थी को किसी प्रकार की अपुर्णय क्षति हो रही है। खंसरा नम्बर 968 के उत्तरी सीमा से साथीन सरहद से रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खंसरा नम्बर 968/1 970 व 972/97 1973/971, 974/971 तक आते जाते है प्रार्थीगण ने गलत रूप से नजरी नक्शा दर्शाया है तथा गलत रास्ता दर्शाया है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण किसी प्रकार से अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है।अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहीत खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बीपाड शहर (जोधपुर)

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने पुनः मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 16/12/2022 प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रार्थीगण को प्रार्थीगण राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा संख्या 972 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 968/2, 968/1, 970 के दक्षिणी ओर से होते खसरा संख्या 972 में जाने जाने हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया जिस पर वकील अप्रार्थी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा संख्या 972 में आने जाने हेतु मौका कमिश्नर रिपोर्ट में खसरा संख्या 968 के उत्तरी सीमा साथीन सरहद से कोई रास्ता नहीं दर्शाया जबकि खसरा संख्या 968 के उत्तरी सीमा साथीन सरहद से निकटतम एवं सुलभतम रास्ता मौजूद है। वकील अप्रार्थीगण की उक्त आपत्ति स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आपत्ति को ध्यान में रखते हुए पुनः मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21/06/2024 न्यायालय में प्रस्तुत की है कि जिसके अनुसार उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया जिसमें अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना पाया गया ।

चूंकि प्रार्थना पत्र अनुसार खसरा संख्या 972 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 968/1, 970, 1474/971, 1473/971, 1472/971, 1475/971 प्रार्थीगण की ही खातेदारी भूमि है जिसे प्रार्थीगण रास्ते के रूप में भूमि सर्मपण करने को तैयार है। अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका कश्मिनर रिपोर्ट दिनांक 21/06/2024 में नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु संख्या ए से बी मौके पर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 968/2 रकबा 377 वर्गमीटर प्रस्तावित रास्ते की भूमि के डी.एल.सी. दर की गणना करने पर निम्न अनुसार राशि होना पाया ।

खसरा नम्बर	रकबा	राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी	कुल देय
968/2	0.0377 हैक्टयर	491548 X 2	37062/–

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि डी.एल.सी.दर से गणना कर पालना रिपोर्ट तैयार की गई ।

वकील अप्रार्थी ने तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका कमिशनर रिपोर्ट दिनांक 21/06/2024 पर पुनः आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा संख्या 972 में आने जाने हेतु मौका कमिश्नर रिपोर्ट में खसरा संख्या 968 के उत्तरी सीमा साथीन सरहद से कोई रास्ता नहीं दर्शाया जबकि खसरा संख्या 968 के उत्तरी सीमा साथीन सरहद से निकटतम एवं सुलभतम रास्ता मौजूद है। आपत्ति पर बहस वकुलाय सुनी जाकर आपत्ति खारिज की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में पुनः निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थी को ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 972 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 968/2 मे से होते हुए सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दौहराते हुए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस वकुलाय, पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, जवाब वकील अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21/06/2024 का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 972 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 968/2 मे से होते हुए सबसे निकटतम एवं सुलभतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार रास्ता दिया जाना उचित हैं।

अतः राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 972 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 968/2 में से तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21/06/2024 में दर्शाये अनुसार बिन्दु ए से बी कुल क्षेत्रफल 0.0377 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 491548/– की रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.0377 हैक्टयर भूमि की मालियत राशि रूपये 18531/– रूपये बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 37062/– रूपये बनती है। प्रार्थीगण राशि 37062/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे । इसके साथ ही प्रार्थी संख्या 3 से 16 खसरा संख्या 968/1, 970, 1475/971 के खातेदार है जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार बिन्दु बी से सी, सी से डी एवं डी से ई को रास्ता घोषित किये जाने हेतु सहमत है। अतः मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार बिन्दु बी से सी, सी से डी, एवं डी से ई रास्ता घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 37062/– रूपये का चैक/ डी. डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 13/11/2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)